फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद, जिला राजसमन्द

श्री छगनलाल चंदेल पिता श्री देवकिशनजी चंदेल निवासी अम्बिका चौक, जलचक्की, कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द

— अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द — **प्रत्यर्थी**

मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 120 / 2025**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 16.01.2026	

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांक :— एफ.1( )सू0अ0,05 / 2026 / 24 दिनांक 09.01.2026 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी / अपीलान्ट का आवेदन पत्र जरिये डाक से दिनांक 10.11.2025 का सूचना के अधिकार अधिनियम, 05 के तहत इस कार्यालय को 11.11.2025 को प्राप्त हुआ है। आरटीआई आवेदन में ईप्सित बिन्दु संख्या 01 से 03 तक की सूचना अपीलार्थी द्वारा चाही गई, बिन्दु संख्या 01 व 02 की सूचना का संबंध प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग एवं बिन्दु संख्या 03 की सूचना का संबंध प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग से होने से इस कार्यालय द्वारा प्रार्थी अपीलार्थी का आरटीआई आवेदन कार्यालय के जरिये पत्रांक 926—27 दिनांक 11.11.2025 से संबंधित अनुभाग को सूचना उपलब्ध कराने हेजु पत्र प्रेषित किया गया। आवेदन ईप्सित बिन्दु संख्या 01 की सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग द्वारा पत्रांक 1007 दिनांक 14.12.2025 से पृष्ठ संख्या 01 की सूचना उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार इस कार्यालय को उपलब्ध करवा दी गई, इस कार्यालय द्वारा अधिप्रमाणित सूचना प्रार्थी द्वारा स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त कर ली गई। आवेदन में

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द

ईप्सित बिन्दु संख्या 02 व 03 की सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग द्वारा पत्रांक 2786 दिनांक 28.11.2025 से अवगत कराया कि चाही गई सूचना पत्रावली वर्ष 1997 एवं वर्ष 2000 की होकर कार्यालय स्तर पर तलाश की जा रही है पत्रावली प्राप्त होने पर सूचना शीघ्र उपलब्ध करवा दी जाएगी इस हेतु कार्यालय के पत्रांक 1008 दिनांक 03.12.2025 से प्रार्थी को सूचित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 1 से 3 की सूचना के संबंध में बिन्दु संख्या 1 की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई। तथा बिन्दु संख्या 02 व 03 की सूचना के संबंध में अपीलार्थी/प्रार्थी को सूचित किया गया कि वांछित सूचना पुरानी होने से तलाश करवायी जा रही है। और सूचना उपलब्ध होने पर शीघ्र उपलब्ध करवा दी जाएगी।

उक्त संबंध में लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अवशेष बिन्दु संख्या 2 व 3 की सूचना शीघ्रता से तलाश कर अपीलार्थी को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें। अतः उक्त अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाती हैं।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)